संख्या-64/2025/आई/865463/23-1-25/004-23-1002(002)/116/2024-पार्ट-1

प्रेषक,

राजेश प्रताप सिंह,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

प्रमुख अभियंता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

लोक निर्माण अनुभाग-1 लखनऊ::दिनांक 29 जनवरी, 2025

विषय- वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 17 चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि का आवंटन।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ पत्र संख्या-11804/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2024-25, दिनांक 16.01.2025 एवं पत्र संख्या- 11855/CE-HQ1/RSN3054/LKO/2024-25, दिनांक 22.01.2025 द्वारा उपलब्ध कराये गये प्रस्ताव के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार **लखनऊ मण्डल के विभिन्न जनपदों के 17 मार्गों के चालू कार्यों हेतु अवशेष धनराशि के सापेक्ष कुल रू0 12,97,37,000/- (रूपये बारह करोड़ सत्तानबे लाख सैंतीस हजार मात्र) की धनराशि** चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान सं0-58 के लेखाशीर्षक-3054 के अन्तर्गत राज्य सड़क निधि से स्वीकृत/निर्गत किये जाने की निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(धनराशि रू0 लाख में)

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	प्रा.ख. रायबरेली	हैदरगढ-महराजगंज- रायबरेली मार्ग	64 /2023/1356 रास नि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/ 2022 टीसी दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023	472.68 472.68 273.91 54.12 418.56	277.98	140.58	140.58
2	प्रा.ख. रायबरेली	बछरावंा-राजामऊ-नींवा-इचौली मार्ग	64 /2023/1356 रास नि (18)/23- 1-22/001-60	181.21 156.09 42.14 11.27 169.94	116.11	28.71	28.71

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
			आरएसएन/2022 टीसी दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023				
3	प्रा.ख. रायबरेली	हलोर-सीवन-अछई-लाही बार्डर-कुटी मार्ग	64 /2023/1356 रास नि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/ 2022 टीसी दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023	89.34 89.34 28.15 1.11 88.23	60.10	28.13	28.13
4	प्रा.ख. रायबरेली	लाही बार्डर से शिवगढ़-भवानीगढ़- बहुदाकला मार्ग	64 /2023/1356 रासनि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/ 2022 टीसी दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023	103.17 103.17 27.48 7.35 95.82	13.49	82.33	82.33
5	प्रा.ख. रायबरेली	तिलेण्डा से हलोर मार्ग	64 /2023/1356 रासनि (18)/23-1-22/001-60 आरएसएन/2022 टीसी दि 07.01.2023- दिनांक-07-01-2023	234.06 234.06 64.51 14.97 219.09	165.37	53.72	53.72
6	प्रा.ख. रायबरेली	फैजाबाद-रायबरेली मार्ग से बूढनपुर, लालूपुर, आदमपुर माइनर सम्पर्क मार्ग	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/ 002-60 आरएसएन /2022 टीसी दिनांक 13.03.2023- दिनांक-13-03-2023	53.14 53.14 12.73 2.42 50.72	38.29	12.43	12.42
7	प्रा.ख. रायबरेली	रानीखेड़ा-दुन्दगढ़-बंकागढ़ मार्ग	268 /2023/722 रासनि /23-1-2023/002-60 आरएसएन/202 2 टीसी दिनांक 13.03.2023- दिनांक-13-03-2023	53.14 53.14 14.02 2.87 50.27	41.89	8.38	8.38
8	नि.ख.-1 खीरी	बैजनाथपुरवा चौका नदी के पास सेतु का पहुंच मार्ग का	422 /2022/798 रासनि /23-1-2022 /001-46	133.10 133.10 87.21 18.00	99.85	15.25	12.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
		विशेष मरम्मत का कार्य व सुरक्षात्मक कार्य।	आरएसएन/ 2022 दि 09.11.2022- दिनांक-09-11-2022	115.10			
9	नि.ख.-1 खीरी	सिचाई विभाग मार्ग से जटपुरवा होते हुए धौरहरा सम्पर्क मार्ग के किमी0-1 व 2 में पुनः निर्माण कार्य।	493 /2022/1025 रासनि /23-1-2022/ 001-50 आरएसएन/ 2022 दि 24.12.2022- दिनांक-24-12-2022	67.00 67.00 43.39 5.10 61.90	54.68	7.22	7.22
10	नि.ख.-1 खीरी	भूड़ा सम्पर्क मार्ग।	493 /2022/1025 रासनि /23-1-2022 /001-50 आरएसएन/ 2022 दि 24.12.2022- दिनांक-24-12-2022	44.60 44.60 36.64 0.58 44.02	38.76	5.26	5.00
11	नि.ख.-1 खीरी	बरारी नानकार सम्पर्क मार्ग	493 /2022/1025 रासनि /23-1-2022 /001-50 आरएसएन/2022 दि 24.12.2022- दिनांक-24-12-2022	95.86 95.86 74.74 7.66 88.20	85.63	2.57	2.57
12	नि.ख.-1 खीरी	सिसैया धौरहरा निघासन पलिया धनौराघाट पूरनपुर सम्पर्क मार्ग के किमी 1 से 25 में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	307 /2023/ 133 रासनि /23-1-23/ 001-44 आरएसएन/ 2023 दिनांक 18.04.2023- दिनांक-18-04-2023	1062.96 1062.96 740.17 189.55 873.41	812.88	60.53	60.53
13	प्रा.ख. खीरी	सीतापुर-गोला-अलीगंज-बिजुआ मार्ग (राज्य मार्ग-135) में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य	90 /2024/आई/ 515263/ 23-1-24/001-23-1002 (002)/54/2024 - दिनांक-07-03-2024	674.73 674.73 393.46 149.92 524.81	367.01	157.80	157.80
14	नि.ख.-1 रायबरेली	रायबरेली डलमऊ फतेहपुर मार्ग (राज्य मार्ग-13 ए) कि0मी0- 6(950), 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 33(163), 33, 34(464) का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य।	90 /2024/आई/ 515263 / 23-1-24/001-23-1002 (002)/54/2024 - दिनांक-07-03-2024	680.76 680.76 350.17 113.83 566.93	306.58	260.35	147.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.gov.in

क्रम सं0	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	शासनादेश संख्या	स्वीकृत / प्रावैधिक/ गठित अनुबन्ध की लागत/ गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत/ बचत के उपरान्त लागत	अब तक शुद्ध आवंटित धनराशि	अद्यतन अवशेष धनराशि	अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8
15	नि.ख.-3 खीरी	चन्दनचैकी गौरीफण्टा मार्ग में सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य। (कि0मी0- 1 से 6, 7(300), 9(700) व 10 से 20)	90 /2024/ आई/515263/23-1-24 /001-23-1002(002)/54/ 2024 -दिनांक-07-03-2024	642.13 642.13 375.06 6.75 635.38	161.53	473.85	160.53
16	नि.ख.-3 खीरी	सिसैया धौरहरा निघासन पलिया धनौराघाट पूरनपुर मार्ग का सामान्य मरम्मत के साथ नवीनीकरण का कार्य। कि0मी0- 38 से 44 व कि0मी0- 90 से 103 तथा 120(750) व 121(350)	90 /2024/आई/ 515263/ 23-1-24 /001-23-1002(002)/54/ 2024 -दिनांक- 07-03-2024	944.14 944.14 544.60 10.93 933.21	237.04	696.17	236.03
17	नि.ख.-3 खीरी	बिलरायां- पनवारी मार्ग के कि0मी0- 3(500), 4 से 19 में सामान्य मरम्त के साथ नवीनीकरण का कार्य। (कि.मी.- 3(500) से 19)	90 /2024/आई/ 515263/ 23-1-24/ 001-23-1002(002) /54/2024 -दिनांक- 07-03-2024	737.20 737.20 411.53 11.79 725.41	380.30	345.11	154.42
						कुल योग-	1297.37

(1) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग प्रत्येक दशा में 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जाय। कार्य सम्पादन के अनुरूप उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को दिनांक 30 अप्रैल, 2025 तक उपलब्ध करा दिया जाय। यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि इन कार्यों के लिए किसी अन्य आदेश से स्वीकृति/आवंटन तो प्राप्त नहीं है और यदि दोहरी स्वीकृति पायी जाय तो उस स्वीकृति को निरस्त कराते हुए संबंधित कार्य पर आवंटित धनराशि शासन को तत्काल समर्पित की जाय ।

(2) लेबर सेस की एक प्रतिशत धनराशि इस शर्त के अधीन होगी कि श्रम विभाग को उक्त धनराशि का नियमानुसार भुगतान किया जायेगा।

(3) प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि के सापेक्ष व्यय, वित्त विभाग द्वारा निर्गत आदेशों/ज्ञापों में उल्लिखित शर्तो के अनुसार बजट मैनुअल एवं वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों, स्थायी आदेशों आदि तथा राज्य सड़क निधि नियमावली में किये गये प्राविधानों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जाय तथा किसी भी दशा में प्रश्नगत कार्यों हेतु आवंटित धनराशि का उपयोग किसी अन्य मद में न किया जाय।

(4) राज्य सड़क निधि हेतु गठित राज्य सड़क प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित परियोजनाओं/ प्रयोजनों के लिये ही स्वीकृत/आवंटित धनराशि का उपयोग किया जायेगा। यह सुनिश्चित किया जाय कि जिन प्रयोजनों हेतु राज्य सड़क निधि से धनराशि स्वीकृत हुई है वह उसी प्रयोजन हेतु व्यय की गयी है।

(5) समस्त कार्य निर्धारित व अनुमोदित मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप सम्पादित कराये जाये ताकि उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। यदि किसी अपरिहार्य परिस्थितिवश निर्धारित

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

मानकों/विशिष्टियों में परिवर्तन किया जाना अपेक्षित हो तो, उक्त परिवर्तन/विचलन शासन की पूर्वानुमति से ही किया जाय।

(6) इस निधि से स्वीकृत कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का सक्षम स्तर पर सम्यक निरीक्षण/सत्यापन कर प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जाय।

(7) अवमुक्त की जा रही धनराशि के व्यय से पूर्व उपर्युक्त परियोजनाओं के संबंध में प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति विषयक मूल शासनादेशों एवं यथा पुनरीक्षित शासनादेशों की शर्तों तथा उक्त के संबंध में वित्त विभाग के समस्त सुसंगत शासनादेशों की शर्तों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(8) प्रमुख अभियंता(विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ द्वारा वित्त विभाग के कार्यालय ज्ञाप सं0-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 एवं शासनादेश संख्या-35/2024/बी-2-768/दस-2024-244/2024(II), दिनांक 27.12.2024 तथा अन्य सुसंगत शासनादेशों का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय **रू0 12,97,37,000/- (रूपये बारह करोड़ सत्तानबे लाख सैंतीस हजार मात्र)** को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-58 **लेखाशीर्षक "3054**043370500 राज्य सड़क निधि से सड़कों का अनुरक्षण मानक मद 29 अनुरक्षण" के नामे डाला जायेगा ।

3- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनांक 04 मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

राजेश प्रताप सिंह

उप सचिव।

संख्या-64/2025/आई/865463(1)/23-1-25/004-23-1002(002)/116/2024-पार्ट-1, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-निजी सचिव, मा0मंत्री जी/मा0राज्य मंत्री जी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश।
2-महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी),प्रथम एवं द्वितीय उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3-जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
4-मुख्य अभियंता (मुख्यालय-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ ।
5-मुख्य अभियंता, संबंधित क्षेत्र, लोक निर्माण विभाग।
6-संबंधित अधिशासी अभियन्ता, लो0नि0वि0।
7-वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
8-वेब मास्टर, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ।
9-वेब अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।
10-लोक निर्माण अनुभाग-10/वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-8, उ0प्र0शासन।
11-नोडल अधिकारी (आनलाइन बजट एलॉटमेंट सिस्टम), लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
12-गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

अभिषेक गंगवार

अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in